2951C

पूर्वोत्तर रेलवे

(यह आवेदन पत्र नौकरी के लिये नहीं है)

(विज्ञप्ति सूचना स0 01/25 (हाल्ट)

संख्या–सी/143/हाल्ट/फ्लैग/नोटिफिकेशन/19 दिनांकः 21.01.2025

लखनऊ मण्डल के निम्नलिखित हाल्ट/फ्लैग स्टेशनो को कमीशन के आधार पर टिकट बिक्री हेतु अभिकर्ता नियुक्त किया जाना हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क. सं.	खण्ड मे स्थित	स्टेशनों के मध्य	हाल्ट स्टेशन का का नाम	किस जिले में हाल्ट स्थित है	आवेदन पत्र जमा करने की तिथि एवं समय	आवेदन पत्र खोलने की तिथि एवं समय
1	सीतापुर–मैलानी	हरगॉव–लखीमपुर	**कादीपुर सानी**	लखीमपुर	**21.02.2025 को 10.00 से 14.00 बजे तक।**	**21.02.2025 को 15.00 बजे।**
2	गोण्डा–बढ़नी	पचपेड़वा–बढनी	**त्रिलोकपुर हाल्ट**	बलरामपुर		
3	गोण्डा–बढ़नी	तुलसीपुर–पचपेड़वा	**लैबुडवा हाल्ट**	बलरामपुर		
4	नानपारा–मैलानी	मिहिनपुरवा–रायबोझा	**गायघाट**	बहराइच		
5	गोरखपुर–गोण्डा	मगहर–सहजनवा	**सीहापार**	गोरखपुर		
6	गोमतीनगर–बुढ़वल	जहॉगीराबाद–बिन्दौरा	**रफीनगर**	बाराबंकी		
7	आनन्दनगर–बढ़नी	परसा–बढ़नी	**महादेवा बुजुर्ग**	महाराजगंज		
8	गोरखपुर–आनन्दनगर	मानीराम–पीपीगंज	**कौड़िया जंगल**	गोरखपुर		
9	बुढ़वल–सीतापुर	पैंतिपुर–महमूदाबाद	**मुण्डा गोपाल आश्रम**	सीतापुर		
10	गोण्डा–बुढ़वल	मैजापुर–करनैलगंज	**कस्तूरी**	गोण्डा		
11	गोण्डा–बुढ़वल	मैजापुर–गोण्डा कचहरी	**कैठोला**	गोण्डा		
12	नानपारा–नेपालगंज रोड	नानपारा–नेपालगंज रोड	**बाबागंज**	बहराइच		

उपरोक्त हाल्ट/फ्लैग स्टेशनों के लिये स्थानीय इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र सीलबन्द लिफाफे में (जिस पर आवेदन किये गये हाल्ट/फ्लैग स्टेशन का नाम अंकित हो) आमंत्रित किया जाता है। जो कि मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) पूर्वोत्तर रेलवे, अशोकमार्ग, लखनऊ–226001 के कार्यालय में निविदा कक्ष में रखे निविदा बाक्स में उपरोक्त तिथि एवं समय पर डाले जायेगें। इस सूचना संबंधी विस्तृत जानकारी रेल नेट के वेब साइट " http.www.ner.indianrailways.gov.in" पर कर सकते है।

21/1/25

मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक
लखनऊ

पूर्वोत्तर रेलवे

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से लखनऊ मण्डल के हाल्ट स्टेशनों पर टिकट वितरण करने हेतु 05 वर्ष के लिए कमीशन के आधार पर हाल्ट एजेन्ट के चयन हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं ऐसी शर्ते जो समय–समय पर निहित की जायेगी को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

i. हाथ से लिखा गया/टाइप किया गया आवेदन–नाम, पता, फोन नंबर और शैक्षिक योग्यता के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ के साथ बैंक खाता विवरण। (अनुलग्नक–I के रुप में संलग्न प्रारुप)

ii. निवास प्रमाण पत्र–हाल्ट ठेकेदार उस स्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए जहॉ हाल्ट स्टेशन खोला जाना है। उसके निवास स्थान को स्थानीय निवास स्थान माना जाएगा, यदि यह उसी जिले में स्थित है। जहॉ स्टेशन स्थित है। (जिला अधिकारी द्वारा जारी, उप जिला अधिकारी द्वारा जारी, तहसीलदार, एवं नायव तहसीलदार द्वारा ही जारी प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड संलग्न करना होगा)।

iii. हाल्ट ठेकेदार को एक मेडिकल प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के राजकीय अस्पताल/एम.बी.बी.एस. डाक्टर द्वारा निर्गत, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह सक्रिय सेवा के लिए योग्य है और उसे किसी भी प्रकार का संक्रमण रोग नहीं है।

iv. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र– आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम अर्हता 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (i.e.contractors engaged after 24-06-2005) (प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा)

v. वित्तीय स्थिति–ठेकेदार को अपने बैंक खाते की छायाप्रति के साथ पासबुक स्टेटमेंट भी संलग्न करना होगा।

vi. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।

vii. सम्बन्धित पुलिस स्टेशन द्वारा जारी आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (एस0पी0/एस0एस0पी0 द्वारा जारी ही जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा)

viii. आवेदक को हाल्ट/फ्लैग ठेकेदारों के रुप में तैनात करने से पहले उनके पूर्ववृत्त को सत्यापित किया जाएगा।

ix. आवेदनकर्ता को 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र देना होगा कि मैने एक ही हाल्ट स्टेशन (स्टेशन का नाम) हेतु आवेदन किया है एवं मेरे नाम से भारतीय रेल अन्य कोई JTBS, STBA, एवं हाल्ट स्टेशन आवंटित नही है।

अनुलग्नकों के साथ आवेदन को **Sr.Divisional Commercial Manager, Lucknow Division, North Eastern Railway, Ashok Marg, Lucknow -226001** को संबोधित करना होगा।

नोटः–आप द्वारा संलग्न किये गये सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायेगा सत्यापन के दौरान किसी भी दस्तावेजों में जालसाजी पायी गई तो आपका आवेदन निरस्त कर आपको निविदा में भाग लेने से वंछित कर दिया जायेगा।

1. प्रतिभूति राशि–चयन के पश्चात आवेदनकर्ता को प्रतिभूति राशि के रूप में हाल्ट स्टेशन के लिए रू0 2000/– तथा फ्लैग स्टेशन के लिए रू0 10000/– अनुबंध से पूर्व जमा कराने होगें ठेके की अवधि बढ़ाये जाने पर प्रतिभूति राशि बढ़ाई जा सकती है।

2. ठेके की अवधि–

i- सफल आवेदक को, हाल्ट ठेकेदार के रुप में कार्य करने हेतु, ठेके की आरम्भिक अवधि 05 वर्ष होगी एवं तत्पश्चात् नये आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। 05 वर्ष की आरम्भिक संविदा अवधि समाप्त होने के बाद मौजूदा हाल्ट ठेकेदारों को पॉच वर्ष की समय वृद्धि दी जा सकती है। अधिकतम संविदा अवधि 05+5=10 वर्ष से अधिक होगी। समय वृद्धि में एक समय में ढाई वर्ष की होनी चाहिए, जो हाल्ट ठेकेदार का संतोषजनक होने और रेलवे बकाये, समय पर भुगतान किए जाने के आधीन होगी।

ii-ऐसे हाल्ट ठेकेदार जो अपनी लागत पर स्टेशन की अवसंरचना का रखरखाव करेंगे जिसमें बिजली पानी आदि की व्यवस्था सम्मिलित है, उन्हे पॉच वर्ष की और समयवृद्धि दी जा सकती है अर्थात् संविदा की कुल अवधि 10+5=15 वर्ष हो सकती है।

iii- अनुबन्ध समाप्त होने के पूर्व नये आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे जिसमें मैजूदा हाल्ट ठेकेदार भी आवेदन करने के पात्र होगें।

293/2

3. ठेके का निरस्तीकरण–

❖ हाल्ट स्टेशन को बन्द करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श की आवशयकता नहीं है अगर हाल्ट स्टेशन उनके परामर्श के आधार पर नहीं खोला गया है अगर हाल्ट स्टेशन अनैमिरेनेटिव है और यात्री सुविधा के आधार पर justified नहीं हो रहा है तो इसे बन्द किया जा सकता है। जोनल रेलवे ऐसे हाल्ट स्टेशनों को बन्द कर सकती है जब ब्रान्च लाइन में प्रतिदिन जावक यात्रियों की संख्या 25 से कम तथा मेन लाइन में 50 से कम है ऐसे मामले में ZRUCC/DRUCC से विचार लेने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे कभी भी एक माह का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर सकती है।

4. कमीशन का भुगतानः–

बिक्री प्रति माह(रु0 में)	कमीशन देय
1 - 15,000	**15%**
15,001–50,000	**12%**
50,001–1,00,000	**09%**
1,00,001 –2,00,000	**06%**
2,00,001 and above	**03%**

❖ The minimum commsion payble to the Halt contractors would be Rs.1000/- par month for halts having stoppage upto two pairs of trains and Rs- 1500/- per month for halts having stoppage off more than two pairs of trains If the salesturnover is Rs. 3,00,000, the commission would be 15% of 15000 + 12% of 35000 + 9% of 50,000 + 6% of 1,00,000 + 3% of 1,00,000 = 2250 + 4200 + 6000 + 3000 = Rs.19,950/-

❖ The commisssionpayble to the Halt contractors will be on the basis of the individual month's transaction and not on the basis of monthly average sales turnover for the entire year.

❖ **नोटः– उपरोक्त दरें पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ बाद की तारीख में संशोधन के अधीन है। समय–समय पर नीति में कोई भी बदलाव स्वचलित रुप से संभावित हॉल्ट एजेंटों पर लागू होगा।**

6:– कार्य की प्रकृतिः–

i. हॉल्ट एजेंट को रेलवे प्रशासन के निर्देशों के अनुसार प्रीप्रिंटेड यूटीएस टिकट जारी करना होगा।

ii. हाल्ट एजेंट कमीशन के भुगतान पर प्रीप्रिंटेड यूटीएस टिकट खरीदेंगे और रेलवे द्वारा निर्धारित दरों पर टिकट बेचेंगे।

iii. हॉल्ट एजेंट की नीति के अनुसार कमीशन के भुगतान पर जोनल सीमा से परे टिकट जारी करने की भी अनुमति है।

iv. उपर्युक्त टिकट डिपो/सर्विंग स्टेशन पर स्टॉक किए जाएंगे।

v. रेलवे द्वारा निर्देशित रिकार्ड को बनाए रखना अनिवार्य होगा।

vi. हाल्ट/फ्लैग स्टेशन की साफ–सफाई की जिम्मेदारी हाल्ट/फ्लैग स्टेशन ऐजेन्ट की स्वयं की होगी।

7:–हाल्ट ऐजेन्ट का चयन–

(i) हाल्ट ऐजेन्ट का चयन सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त एक, तीन अधिकारियों की समिति द्वारा किया जायेगा।

(ii)आवेदकों में एक से अधिक सफल आवेदन प्राप्त होने पर हाल्ट ऐजेन्ट का चयन तीन अधिकारियों की समिति के समक्ष एक बच्चे द्वारा ड्रा आफ लॉट्स के माध्यम से किया जायेगा। हाल्ट ऐजेन्ट अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में रेल प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा और रेल प्रशासन के पास किसी भी आवेदन पत्र का बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी पैरवी अथवा असफल अभ्यर्थियों के द्वारा किसी तरह का पत्राचार स्वीकार नहीं है।

(iii)हाल्ट/फ्लैग ऐजेन्ट के रूप में नियुक्त किये जाने से उस व्यक्ति को रेलवे में नियोजन पाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यह नियुक्ति विशुद्ध रूप से ठेके की प्रकृति की है और कोई भी सुविधा अथवा रेल सेवा में समाहित किया जाना सेवा नियमतीकरण लाभांश, रेलवे पास की सुविधा इत्यादि हाल्ट ऐजेन्ट को देय नहीं होगी।

8. हाल्ट/फ्लैग ठेकेदार की मृत्यु के मामले में, अन्य आवेदकों के साथ–साथ मृत हाल्ट/फ्लैग ठेकेदारों के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति के बारे में विचार किया जा सकता है और अन्य सभी चीजे सामान होने पर उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि मृत हाल्ट ठेकेदार का पात्र उत्तराधिकारी आवदेन करता है तो ड्रा ऑफ लॉट्स के द्वारा उसे निकालने की आवश्यकता नही है एवं उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। संविदा अवधि समाप्त होने पर नये आवेदन

आमंत्रित किये जाएंगे एवं ड्रा ऑफ लॉट्स के द्वारा चयन किया जाएगा। इसलिए ड्रा ऑफ लॉट्स केवल तब ही लिया जाएगा, जब कोई कानूनी उत्तराधिकारी न हो। 2940

9. अन्य दिशा निर्देश–

i. **हाल्ट/फ्लैग एजेंटो के द्वारा स्टेशन की सफाई किया जाएगा बिना अतिरिक्त किसी परिश्रमिक के** विभागीय अधिकारी के द्वारा इन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए की हाल्ट स्टेशन पर सफाई किया जा रहा है।

ii. हाल्ट/फ्लैग एजेन्ट के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, उनके कार्य की समीक्षा प्रत्येक साल की जाएगी। यदि आय तथा टिकटों की बिक्री में अचानक गिरावट आती है तो हाल्ट एजेन्ट की गतिविधि पर निगरानी कि जाएगी कि कही धोखाधड़ी या गलत कार्यशैली के कारण तो नहीं हुआ है। ऐसे होने पर हाल्ट एजेन्ट के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा एग्रीमेन्ट की समाप्ति से पूर्व ही उनका अनुबन्ध खत्म कर दिया जायेगा।

iii. हाल्ट/फ्लैग एजेन्ट को समय–समय पर जो भी परिवर्तन/संशोधन/अमेन्डमेन्ट पॉलिसी पर लागू होगा वह स्वतः हाल्ट एजेन्ट के लिए भी लागू होगा। इसके लिए रेलवे को अलग से कार्यवाही नहीं करना होगा।

iv. ऐसे हाल्ट जिनसे रेलवे को लगातार नुकसान हो रहा है जोनल रेलवे छमाही समीक्षा के आधार पर बन्द कर सकती है।

v. हाल्ट/फ्लैग एजेन्ट को गाड़ी के समय पर टिकट वितरण करना अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर आप पर जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

10. अन्य–

- ❖ हाल्ट एजेन्ट और रेल प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण हेतु मण्डल रेल प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ अन्तिम प्राधिकारी होगें।
- ❖ निविदा प्रपत्र विहित प्रारुप में, स्वच्छ लिपि में, सभी प्रकार से पूर्ण सभी संलग्नकों के सहित वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, अशोक मार्ग, लखनऊ के कार्यालय के निविदा कक्ष में रखे बाक्स में दिनांक **21.02.2025** को 10:00 बजे से 14:00 बजे तक अवश्य पहुँच जाने चाहिये। निविदा प्रपत्र खुलने की तिथि एवं समय दिनांक **21.02.2025** को 15:00 बजे। यदि किसी कारणवश दिनॉक–**21.02.2025** को अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदायें अगले कार्यदिवस में डाली एवं खोली जायेंगी। निविदा की वैधता **120 दिन** होगी। प्रशासनिक कारणों से निविदा के निस्तारण में 120 दिन से अधिक भी लग सकते हैं। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के **ऊपर बड़े अक्षरों में हाल्ट/फ्लैग हेतु आवेदन पत्र और स्टेशन का नाम** लिखा होना चाहिये। अपूर्ण आवेदन पत्र सिरे से खारिज कर दिये जायेंगे और निविदा प्रपत्र प्राप्ति के उपरान्त उससे संबधित कोई भी कागजात स्वीकार नही किये जायेंगे।
- ❖ आवेदन पत्र पूर्वोत्तर रेलवे की वेवसाइट **"http//www.ner.indianrailways.gov.in"** से डाउनलोड किया जा सकता है।
- ❖ सफल आवेदक को निर्धारित प्रारुप में एक समझौते पर अमल करना होगा।

मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक
लखनऊ

अनुलग्नक–I 291/c

हाल्ट/फ्लैग स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर अभिकर्ता हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो जिस पर कास हस्ताक्षर आप द्वारा किया जायेगा।

1. आवेदक का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार) –
4. लिंग(पुरुष/स्त्री)–
5. स्थायी पता–म.नं...
   मोहल्ला ....
   पो0 आ0..
   थाना..
   जिला ....पिन कोड ....
   मोबाईल फोन नं...
6. शैक्षिक योग्यता–.. जन्मतिथि–..
   संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करे।
7. स्टेशन का नाम **जिसके** लिए आवदेन किया हैं...
8. सम्बन्धित पुलिस **स्टेशन** द्वारा जारी आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं होने सम्बन्धित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होना। (एस0पी0/एस0एस0पी0 द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)।
9. सम्बन्धित जिले के किसी भी सरकारी चिकित्सालय द्वारा जारी, चिकित्सा प्रमाण पत्र (**चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख होना आवश्यक है कि वह इस कार्य को करने के लिये फिट है और उसे कोई संक्रामक रोग नहीं है।**) होना आवश्यक है।
10. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) –..
11. रुपये 10 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी कराकर शपथ पत्र संलग्न करें कि मैने मात्र एक ही स्टेशन...................................
    ....के लिए आवेदन किया है और मेरे नाम से भारतीय रेल में अन्य कोई JTBS, STBA, एवं हाल्ट स्टेशन आवंटित नही है।
12. आवेदक के होल्डिंग खाता, बैंक का नाम.. और खाता नम्बर... **IFSC** कोड... हो (**अनिवार्य**)–
13. बैंक स्टेटमेन्ट 6 माह का ....
14. पिछले व्यवसाय का विवरण–यदि कोई हो सेवानिवृत्त केंद्रीय/राज्य सरकार कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी रहे हो।

मैं वचन देता हूँ कि ऊपर दी गई सूचनायें असत्य होने अथवा किसी प्रकार से गलत पाये जाने की दशा में जारी किया गया करार निरस्त किए जाने योग्य होगा। मैं वचन देता हूँ नियम एवं शर्तों, जैसा अधिसूचित किया गया है और जो शर्तें समय–समय पर निहित की जायेंगी, का पूरा निष्ठा से पालन करूँगा/करूँगी।

मेरे इस आवेदन पत्र के साथ कुल ....पृष्ठ संलगन है।

स्थानः–
दिनांकः–
निवास का पता –
मोबाइल नं0:–
आवेदक के हस्ताक्षर–